संख्या-76/2023/929/छप्पन-2023-43/2015

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2023

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता ए109 एस0 वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे दोनों इंजन मॉडल नं0- PW207C क्र0सं0 क्रमश: PCE- BH0411 तथा PCE-BH0410 को एक्सचेंज के आधार पर दो ओवरहाल्ड इंजन से ओवरहाल एक्सचेंज के आधार पर क्रय किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-74/ना0उ0नि0/क्यू0एम0/ए-43/2022-23 दिनांक 03 जुलाई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109 एस0, वी0टी0 यू0पी0एल0 में लगे दोनों इंजनों मॉडल PW207C क्र0सं0 क्रमश: PCE-BH0411 तथा PCE BH0410 का Hot Section इन्स्पेक्शन, डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित मेन्टीनेन्स प्रोग्राम के अनुसार लगभग 100 उड़ान घंटे तथा ओवरहाल लगभग 530 उड़ान घंटे के बाद ड्यू हो रहा है। उक्त कार्य हेतु 03 विकल्प बताये गये हैं। उपलब्ध विकल्पों में से विकल्प-2 के अनुसार कम समय अन्तराल में हेलीकाप्टर को बार-बार ग्राउण्ड होने से बचाने के लिये उक्त दोनों इंजनों को ओवरहाल एक्सचेंज आधार पर अर्थात् वर्तमान में हेलीकाप्टर पर लगे हुये दोनों इंजन को बदलते हुये ओवरहाल इंजन एक्सचेंज आधार पर क्रय किया जाना औचित्यपूर्ण बताया गया है तथा विकल्प-2 के अनुसार सैद्धान्तिक अनुमति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित विकल्प-2 निम्नवत् है:-

''उक्त दोनों इंजनों को ओवरहाल एक्सचेंज आधार पर अर्थात वर्तमान में हेलीकाप्टर पर लगे हुये दोनों इंजन को बदलते हुये ओवरहाल इंजन एक्सचेंज आधार पर क्रय कर लिया जाये। यदि इस विकल्प के क्रियान्वयन हेतु सहमति बनती है तो एक्सचेन्ज आधार पर क्रय हेतु लगभग रू0 12-14 करोड़ तथा आनुषांगिक अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।''

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता ए109 एस0 वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे दोनो इंजन मॉडल नं0- PW207C क्र0सं0 क्रमश: PCE- BH0411 तथा PCE-BH0410 को एक्सचेंज के आधार पर दो ओवरहाल्ड इंजन से ओवरहाल एक्सचेंज के आधार पर क्रय कराये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। प्रश्नगत कार्य हेतु सम्यक प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त यथा समय वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 76/2023/929(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।